न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–13/2007–08
एवं
दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–73/2013–14

भरत सिंह वगैरह बनाम दीनानाथ सिंह वगैरह

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

31/3/18

आदेश

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 13/2007–08 भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 23/2006–07 में दिनांक 16.08.2007/27.08.2007 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था।

इस वाद के पक्षकार इस प्रकार है :–

प्रथम पक्ष

1. कारू प्रसाद सिंह, पिता स्व० विश्वनाथ सिंह,
2. भरत सिंह, पिता स्व० अखज सिंह
3. मनोरंजन प्रसाद, पिता कारू प्रसाद सिंह,
4. मनोज कुमार, पिता भरत सिंह,
5. रवि रंजन कुमार, पिता शरत कुमार
6. रविन्द्र कुमार, पिता भरत सिंह

सभी का पता ग्राम–अराप, थाना–बिक्रम, जिला–पटना

द्वितीय पक्ष

1. दीना नाथ सिंह उर्फ दुधनाथ सिंह, पिता स्व० भुपनेश्वर सिंह
2. लाल नारायण सिंह, पिता स्व० भुवनेश्वर सिंह,
3. जीरा मनी देवी, पति लाल नारायण सिंह

सभी का पता ग्राम–अराप, थाना–बिक्रम, जिला–पटना

दिनांक 09.02.2013 को आवेदक सं० 3 की तरफ से इस आशय का आवेदन दिया गया कि आवेदक सं० 1 कारू प्रसाद सिंह की दिनांक 31.01.2012 को मृत्यु हो गयी है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वैध

उतराधिकारी उनके एकमात्र पुत्र मनोरंजन प्रसाद है, जो इस वाद के आवेदक सं0 3 है। कारू प्रसाद सिंह का नाम वाद से विलोपित करने का अनुरोध किया गया। दिनांक 18.05.2013 को कारू प्रसाद सिंह का नाम विलोपित करने का आदेश दिया गया।

दिनांक 05.03.2014 को आवेदकगण की तरफ से आवेदन दिया गया कि विपक्षी सं0 2 लाल नारायण सिंह की मृत्यु दिनांक 28.02.2013 को हो गयी है तथा विपक्षी सं0 3 जीरा मनी देवी, पति लाल नारायण सिंह की मृत्यु वर्ष 2008 में ही हो चुकी है। लाल नारायण सिंह तथा जीरामनी देवी के वैध उतराधिकारी उनके एकमात्र पुत्र प्रियरंजन कुमार है। आवेदकगण के द्वारा लाल नारायण सिंह तथा जीरामनी देवी के स्थान पर प्रिय रंजन कुमार को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया। Substitution Petition स्वीकार किया गया।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं0 73/2013–14 भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 11/2005–06 में दिनांक 10.01.2007 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

इस वाद के पक्षकार इस प्रकार है :–

प्रथम पक्ष

1. भरत सिंह, पिता स्व0 अखज सिंह
2. मनोरंजन प्रसाद, पिता कारू प्रसाद सिंह,
3. मनोज कुमार, पिता भरत सिंह,
4. रवि रंजन कुमार, पिता शरत कुमार
5. रविन्द्र कुमार, पिता भरत सिंह

सभी का पता ग्राम–अराप, थाना–बिक्रम, जिला–पटना

द्वितीय पक्ष

1. दीना नाथ सिंह उर्फ दुधनाथ सिंह, पिता स्व0 भवनेश्वर सिंह
2. प्रिय रंजन कुमार, पिता स्व0 लाल नारायण सिंह,

सभी का पता ग्राम–अराप, थाना–बिक्रम, जिला–पटना

दोनों वाद के आवेदकगण एवं विपक्षी एक ही है तथा दोनों वाद एक ही भूखण्ड के लिए लाये गये हैं, अतः दोनों वाद की सुनवाई एक साथ की गयी।

आवेदकगण के अनुसार

(1) उभय पक्ष एक ही पूर्वज के वंशज है, जिसकी वंशावली इस प्रकार बतायी गयी है।

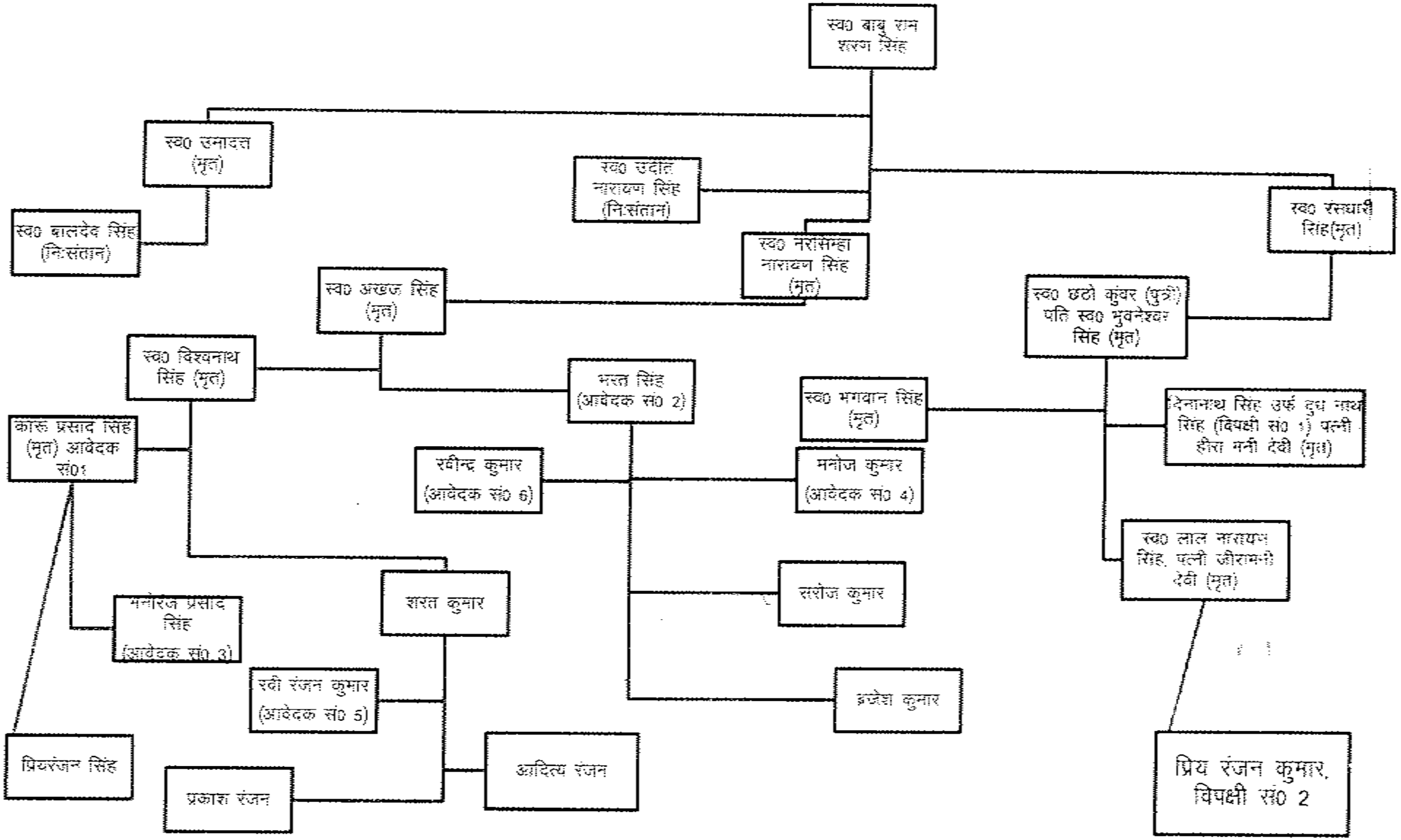
स्व0 बाबू राम शरण सिंह
स्व0 उमादत्त (मृत)
स्व0 बालदेव सिंह (निःसंतान)
स्व0 उदीत नारायण सिंह (निःसंतान)
स्व0 नरसिम्हा नारायण सिंह (मृत)
स्व0 रत्नधारी सिंह(मृत)
स्व0 अखज सिंह (मृत)
स्व0 छठो कुंवर (पुत्री) पति स्व0 भुवनेश्वर सिंह (मृत)
स्व0 विश्वनाथ सिंह (मृत)
भरत सिंह (आवेदक सं0 2)
स्व0 भगवान सिंह (मृत)
देनानाथ सिंह उर्फ दुध नाथ सिंह (विपक्षी सं0 1) पत्नी हीरा मनी देवी (मृत)
कारु प्रसाद सिंह (मृत) आवेदक सं01
रवीन्द्र कुमार (आवेदक सं0 6)
मनोज कुमार (आवेदक सं0 4)
स्व0 लाल नारायण सिंह, पत्नी जीरामनी देवी (मृत)
शरत कुमार
सरोज कुमार
मनोरंज प्रसाद सिंह (आवेदक सं0 3)
रवी रंजन कुमार (आवेदक सं0 5)
ब्रजेश कुमार
प्रियरंजन सिंह
प्रकाश रंजन
आदित्य रंजन
प्रिय रंजन कुमार, विपक्षी सं0 2

(2) सब जज–3 पटना के न्यायालय में एक टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 64/1947 बाबु रसधारी सिंह बनाम बाबु विश्वनाथ सिंह एवं अन्य दायर किया गया था, जो दिनांक 03.12.1947 के समझौता पत्र के आधार पर निष्पादित हुआ तथा डिक्री पारित की गयी। समझौता पत्र के अनुसार खतियानी रैयत के कुल भूखण्ड 24.20 एकड़ में से 9.96 एकड़ रसधारी सिंह को मिला तथा शेष 14.24 एकड़ विश्वनाथ सिंह को मिला।

(3) बटवारा के पश्चात बंटयारा में मिली कुल जमीन 9.96 एकड़ में से रसधारी सिंह ने 5.43 एकड़ दिनांक 03.12.1947 के निबंधित दान पत्र सं0 11022 से अपनी एक मात्र पुत्री छठो कुँवर, पति भुवनेश्वर सिंह को लिख दिया। छाठो कुँवर के नाम से जमाबंदी सं0 211 कायम की गयी।

(4) रंसधारी सिंह ने शेष जमीन 4.53 एकड़ अपने चचेरे पोते विश्वनाथ सिंह एवं भरत सिंह दोनों के पिता स्व0 अखज सिंह को दिनांक 03.12.1947 के निबंधित दान–पत्र सं0 5000 से लिख दिया। विश्वनाथ सिंह एवं भरत सिंह के नाम से जमाबंदी कायम की गई।

(5) छठो कुंवर ने अपने नाम के भूखण्ड में से $2.67\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि अपनी दो बहु जीरा मनी देवी, पति लाल नारायण सिंह एवं हीरा मनी देवी, पति दीनानाथ सिंह को दिनांक 18.04.1963 के निबंधित दान–पत्र से लिख दिया। $2.67\frac{1}{2}$एकड़ की जमाबंदी हीरामनी देवी के नाम से कायम की गयी। शेष $2.67\frac{1}{2}$डी0 की जमाबंदी छठो कुंवर के नाम से कायम की गयी।

(6) आवेदकगण को टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 64/1947 से 14.24 एकड़ भूमि मिली थी। निबंधित दान पत्र सं0 5000 दिनांक 03.12.1947 से रसधारी सिंह के द्वारा 4.53 एकड़ जमीन दी गयी। इस प्रकार आवेदकगण के पास कुल 18.77 एकड़ भूखण्ड हुआ, जिसकी लगान रसीद आज तक निर्गत हो रही है।

(7) टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 64/1947 एवं निष्पादित दान पत्रों के बाद दोनों परिवार की कोई सम्पति संयुक्त रूप में नहीं रही।

(8) विपक्षी दीनानाथ सिंह एवं लाल नारायण सिंह के द्वारा 57 वर्षो के बाद अचानक दिनांक 20.06.2004 को 9.04 एकड़ भूखण्ड के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, बिक्रम को यह कहते हुए, आवेदन दिया गया कि सम्पूर्ण भूखण्ड के आधे–हिस्से पर रसधारी सिंह का हक होता है। छठो कुँवर की मृत्यु हो चुकी है। अतः उतराधिकारी के आधार पर उनके नाम से दाखिल खारिज किया जाय। विपक्षीगण के द्वारा टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 64/1947 के समझौता पत्र एवं 03.12.1947 के निबंधित दान–पत्र की बात छुपा ली गयी।

(9) दाखिल खारिज वाद सं0 124/2004–05 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर इस वाद के आवेदकगण की अनेक जमाबंदियाँ खुली हुयी हैं, परन्तु अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा जमाबंदीदारों को बिना सूचना दिए जमाबंददीदारों की पूर्व

से कायम जमाबंदियों को खारिज करते हुए, दीनानाथ सिंह एवं लाल नारायण सिंह के नाम से, दिनांक 03.08.2004 को दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी।

(10) इस वाद के आवेदकगण को जब दिनांक 03.08.2004 के आदेश की जानकारी मिली तो उनके द्वारा दिनांक 30.09.2004 को अंचलाधिकारी, बिक्रम को आदेश पर पुर्नविचार करने हेतु आवेदन दिया गया।

(11) आवेदकगण के 30.09.2004 के आवेदन पर अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा पुनः विस्तृत जांच की गयी, स्थल निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि इस वाद के विपक्षीगण के द्वारा तथ्यों को छुपाकर छल के आधार पर अपने नाम से दाखिल खारिज करा लिया गया है। अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई कर सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 30.04.2005 के आदेश से दिनांक 03.08.2004 के आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा आवेदकगण की जमाबंदी को पुर्नजीवित कर दिया गया।

(12) विपक्षीगण के द्वारा दिनांक 30.04.2005 के अंचलाधिकारी बिक्रम के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 11/2005–06 दायर की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दिनांक 10.01.2007 को यह कहते हुए कि अंचलाधिकारी को अपने आदेश पर पुर्नविचार करने का अधिकार नहीं है, दाखिल खारिज वाद सं0 124/2004–05 में दिनांक 30.04.2005 के आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा दिनांक 03.08.2004 के आदेश को यथावत रखने का आदेश दिया गया।

(13) इस वाद के आवेदकगण के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 124/2004–05 में दिनांक 03.08.2004 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 23/2006–07 दायर किया गया, परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दिनांक 16.08.2007/27.08.2007 के आदेश में यह कहते हुए कि प्रश्नगत मामले में पूर्व में अपील सं0 11/2005–06 में दिनांक 10.01.2007 को आदेश पारित किया जा चुका है। पुनः इस मामले में वाद लाने का कोई औचित्य नहीं है, अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(14) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा अपील सं0 11/2005–06 एवं अपील सं0 23/2006–07 में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दाखिल खारिज के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया है। जमाबंदीदारों को सूचना नहीं दी गयी। अंचलाधिकारी के द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर लम्बी अवधि से कायम जमाबंदियों को खारिज कर दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा पारित आदेश को अवैध बताते हुए निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण का कथन है कि

(1) उभय पक्ष एक ही पूर्वज राम शरण सिंह के वंशज है। रासबिहारी सिंह के द्वारा अपनी एक मात्र पुत्री छठो कुँवर के पक्ष में कुछ भूखण्ड का दान पत्र लिखा गया। उक्त भूखण्ड विवाद का विषय नहीं है। स्व0 नरसिंह नारायण सिंह एवं रास बिहारी सिंह की शाखाओं के पास संयुक्त रूप से कुछ भूखण्ड रह गया था, जिसमें दोनों शाखाओं का आधा–आधा हिस्सा होता है। उसी के दाखिल खारिज हेतु विपक्षीगण के द्वारा अंचलाधिकारी, बिक्रम को आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 124/2004–05 के अन्तर्गत जांचोपरान्त अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दिनांक 03.08.2004 को इस वाद के विपक्षीगण के पक्ष में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(2) इस वाद के आवेदकगण के द्वारा दिनांक 03.09.2004 को अंचलाधिकारी, बिक्रम को एक आवेदन देकर अपने दिनांक 03.08.2004 के आदेश पर पुर्नविचार करने का अनुरोध किया गया।

(3) अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा अपने दिनांक 30.04.2005 के आदेश से अपने ही दिनांक 03.08.2004 के आदेश को निरस्त कर दिया गया।

(4) अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 124/2004–05 में दिनांक 30.04.2005 को पारित आदेश के विरूद्ध इस वाद के विपक्षीगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 11/2005–06 दायर की गयी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा सुनवाई के उपरान्त अपील स्वीकृत करते हुए अंचलाधिकारी, बिक्रम के दिनांक 30.04.2005 के आदेश को निरस्त कर दिनांक 03.08.2004 के आदेश को बहाल कर दिया गया।

(5) तत्पश्चात इस वाद के आवेदकगण के द्वारा अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दिनांक 03.08.2004 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 23/2007–08 दायर की गयी, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा दिनांक 27.08.2007 के आदेश से अस्वीकृत कर दिया गया।

(6) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध आवेदकगण के द्वारा इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद सं0 13/2007–08 एवं 73/2013–14 दायर किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के आदेश विधि सम्मत है तथा यह पुनरीक्षण वाद रद्द करने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा दाखिल कागजात, लिखित बहस एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) दाखिल खारिज वाद सं0 124/2004–05 के दिनांक 30.04.05 के आदेश के विरूद्ध दीनानाथ सिंह वगैरह के द्वारा कारू प्रसाद सिंह वगैरह के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 11/2005–06 दायर किया गया। भूमि

सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा केवल तकनीकी कारण बताते हुए कि अंचलाधिकारी को अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है, अपील स्वीकृत कर ली गयी। साथ ही दाखिल खारिज वाद सं0 124/2004–05 में दिनांक 30.04.2005 के आदेश को निरस्त करते हुए, दिनांक 03.08.2004 के आदेश को बहाल रखने का निर्णय दिया गया।

(2) पुनः दाखिल खारिज वाद सं0 124/2004–05 में दिनांक 03.08.2004 को पारित आदेश को लेकर कारू प्रसाद सिंह वगैरह के द्वारा दीना नाथ सिंह वगैरह के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 23/2006–07 दायर की गयी, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा अपने दिनांक 16.08.07/27.08.2007 के आदेश से यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि इसी मामले को लेकर पूर्व में दिनांक 10.01.2007 को उनके न्यायालय से आदेश पारित हो चुका है, अतः इस अपील पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है।

(3) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 23/2006–07 अंचलाधिकारी, बिक्रम के दिनांक 03.08.2004 के आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज को अंचलाधिकारी, बिक्रम के दिनांक 03.08.2004 के आदेश पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय दिया जाना चाहिए था, परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा ऐसा नहीं कर बिना सुनवाई किए अपील खारिज कर दी गयी, जो न्यायोचित नहीं है।

(4) दाखिल खारिज वाद सं0 124/2004–05 के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(क) दीनानाथ सिंह एवं लाल नारायण सिंह का दिनांक 20.06.2004 का आवेदन जो तत्कालीन मुखिया श्री चन्द्र भूषण सिंह के द्वारा सत्यापित है, के आधार पर दिनांक 23.07.2004 को दाखिल खारिज वाद सं0 124/2004–05 आरम्भ किया गया। राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन पूर्व से ही प्राप्त था, जिसमें प्रतिवेदित किया गया था कि प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी कुल दस लोगों के नाम से कायम है तथा रसीद कट रही है।

(ख) दिनांक 23.07.2004 को ही आम महाल एवं प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत की गयी। दिनांक 03.08.2004 को अभिलेख में अंकित किया गया कि नोटिस का तामिला प्राप्त है, किसी से कोई आपत्ति प्राप्त हीं है, अतः आवेदक के आवेदन के आधार पर दाखिल खारिज की स्वीकृति के साथ शुद्धि पत्र निर्गत करने का आदेश दे दिया गया।

(ग) दिनांक 30.09.2004 को कारू प्रसाद सिंह एवं अन्य के द्वारा आपत्ति आवेदन दिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड उनके जोत आबाद में है, लगान रसीद भी उनके नाम से कट रही है। निर्गत नोटिस का फर्जी तामिला प्रतिवेदन समर्पित कर दाखिल खारिज का आदेश प्राप्त कर लिया गया, अतः उक्त आदेश पर पुर्नविचार किया जाय।

(घ) अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दिनांक 30.09.2004 के कारू

प्रसाद सिंह एवं अन्य के आवेदन पर राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से पुनः प्रतिवेदन प्राप्त किया गया तथा अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दिनांक 12.04.2005 को स्वंय स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण में पाया गया कि विवादित भूखण्ड पर कारू प्रसाद सिंह का दखल–कब्जा है। दीनानाथ सिंह एवं लाल नारायण सिंह के द्वारा कार्यालय को दिगभ्रमित कर साजिश के तहत प्रश्नगत भूखण्ड के आधा हिस्सा का दाखिल खारिज स्वीकृत करा लिया गया है। दिनानाथ सिंह एवं लाल नारायण सिंह को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 25.04.2005 को उपस्थित होने हेतु निदेश दिया गया।

(ङ) दिनांक 25.04.2005 / 26.04.05 को दीनानाथ सिंह एवं लाल नारायण सिंह के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गयी तथा दखल के बिन्दु पर निर्णय लेने हेतु पुनः स्थल निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया। अंचल अधिकारी के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 30.04.05 तक का समय दिया गया, साथ हीं स्थल निरीक्षण हेतु 28.04.05 की तिथि निर्धारित की गयी। तत्कालीन मुखिया श्री चन्द्र भूषण सिंह जिनके द्वारा दिनांक 23.07.2004 की नोटिस तामिला के क्रम में ग्यारह व्यक्तियों के साथ दिनांक 30.04.2005 को अंचलाधिकारी, बिक्रम के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया, ताकि सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर का भौतिक सत्यापन किया जा सके।

(च) दिनांक 30.04.2005 के आदेश से स्पष्ट है कि दिनांक 28.04.05 को उभय पक्ष तथा स्थानीय ग्रामीणों के समक्ष अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा पुनः स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण में दीनानाथ सिंह वगैरह का दखल–कब्जा प्रमाणित नहीं हो सका। तत्कालीन मुखिया श्री चन्द्र भूषण सिंह दिनांक 23.07.2004 की नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले ग्यारह व्यक्तियों के साथ उपस्थित नहीं हुए, जिससे स्पष्ट हुआ कि दीनानाथ सिंह वगैरह ने, स्थानीय मुखिया की मिलीभगत से गलत तामिला प्रतिवेदन के आधार पर अंचल कार्यालय को गुमराह कर दिनांक 03.08. 2004 को दाखिल खारिज का आदेश प्राप्त कर लिया। अतः सभी तथ्यों, कागजातों स्थल निरीक्षण को दृष्टिगत रखते हुए, अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा पुर्नविचार आवेदन स्वीकार कर लिया गया तथा दिनांक 03.08.2004 को पारित आदेश को संशोधित करते हुए पूर्व से कायम जमाबंदियों को यथावत रखने का आदेश दिया गया। दीनानाथ सिंह एवं लाल नारायण सिंह के द्वारा दिनांक 20.06.2004 को दिया गया, आवेदन अस्वीकृत करते हुए दिनांक 03.08.2004 को निर्गत शुद्धि पत्र के आधार पर कायम जमाबंदी सं0 940 को विलोपित करने का आदेश दिया गया।

(5) यह तथ्य प्रमाणित है कि नोटिस का फर्जी तामिला बता कर दाखिल खारिज वाद सं0 124 / 2004–05 में दिनांक 03.08.2004 को आदेश पारित किया गया। इस तरह के फर्जी तामिला के आधार पर किया गया दाखिल खारिज वैध नहीं माना जा सकता है। अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा कारू प्रसाद सिंह एवं अन्य से इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर

विस्तृत जांच की गयी। स्थल निरीक्षण में प्रश्नगत भूखण्ड पर कारू प्रसाद सिंह एवं अन्य का दखल कब्जा पाया गया, तामिला प्रतिवेदन फर्जी पाया गया। दीनानाथ सिंह एवं लाल नारायण सिंह को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, परन्तु उनके द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने दखल तथा हक का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिस कारण अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दिनांक 03.08.2004 के आदेश को दिनांक 30.04.2005 के आदेश से संशोधित कर दिया गया। इस हेतु अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बैधनाथ दूबे बनाम देवनंदन सिंह केस का हवाला दिया गया है।

बैधनाथ दूबे बनाम देवनंदन सिंह केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि :—

"It cannot be doubted that a court has inherent power to recall orders obtained by practising fraud on it, at the instance of a party to the proceedings. There is no question of the court being functus officio because the court remains the jurisdiction to recall such orders."

इस मामले में धोखाधड़ी कर के दिनांक 03.08.2004 को आदेश प्राप्त किया गया, जिसके सम्बन्ध में एक पक्ष के द्वारा अंचलाधिकारी को अवगत कराया गया। अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा जांचोपरान्त पाया गया कि 03.08.2004 का आदेश धोखा से प्राप्त किया गया है, अतः दिनांक 03.08.2004 के आदेश को उनके द्वारा वापस ले लिया गया। इस प्रकार अंचलाधिकारी, बिक्रम का दिनांक 30.04.2005 का आदेश उचित एवं विधि सम्मत है।

(6) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पालीगंज के न्यायालय में पहले दिनांक 30.04.2005 के आदेश के विरूद्ध अपील सं0 11/2005–06 लायी गयी, तो यह कह कर अपील स्वीकृत कर ली गयी कि अंचलाधिकारी, को अपने पूर्व के आदेश पर पुर्नविचार करने का अधिकार नहीं है। पुनः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पालीगंज के न्यायालय में जब दिनांक 03.08.2004 के आदेश के विरूद्ध अपील सं0 23/2006–07 लायी गयी, तब उन्हें यह देखना चाहिए था कि दिनांक 03.08.2004 का आदेश पारित करने में विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पालीगंज के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट हो चुका था कि दिनांक 03.08.2004 के आदेश में दाखिल खारिज की विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, यथा प्रश्नगत भूखण्ड पर दीनानाथ सिंह एवं लाल नारायण सिंह का दखल कब्जा राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित नहीं है। स्थल निरीक्षण में भी प्रश्नगत भूखण्ड पर उनका दखल कब्जा नहीं पाया गया। तामिला प्रतिवेदन फर्जी है। इन तथ्यों पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पालीगंज के द्वारा ध्यान नहीं देते हुए दुबारा सुनवाई से इन्कार करते हुए अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

सम्यक विचारोपरान्त मैं यह समझता हूँ कि दाखिल खारिज वाद

सं0 124/2004–05 में अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दिनांक 30.04.2005 को पारित आदेश उचित एवं विधि सम्मत है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पालीगंज के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 11/2005–06 एवं अपील वाद सं0 23/2006–07 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए, पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत किए जाते है।

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पालीगंज/अंचलाधिकारी, बिक्रम को भेजें। आदेश की एक प्रति विपक्षी दीनानाथ सिंह वगैरह को भी दें। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

3/3/18
(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

3/3/18
(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना